न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 31/अपील/2025 (GCMS No. 2025/70)	23.06.2025	18.11.2025

1. महावीर पुत्र घासीलाल जाति कीर, नि. गोगपुरा, तह.रायथल
2. राधेश्याम पुत्र कालूलाल जाति कीर, नि. गोगपुरा, तह.रायथल
3. सत्यनारायण पुत्र कालूलाल जाति कीर, नि. गोगपुरा, तह.रायथल
4. धन्नालाल पुत्र कालूलाल जाति कीर, नि. गोगपुरा, तह.रायथल

– अपीलांटस

बनाम

1. हेमराज पुत्र जगन्या जाति बैरवा, नि. ख्यावदा, तह.रायथल
2. नाथूलाल पुत्र जगन्या जाति बैरवा, नि. ख्यावदा, तह.रायथल
3. जानकी बाई पुत्री जगन्या पत्नी गोबरीया जाति बैरवा, नि. ख्यावदा, हाल नि. रामपुरा धोला का, तहसील रायथल
4. मन्नी बाई पुत्री जगन्या पत्नी उच्छबलाल जाति बैरवा, नि. ख्यावदा, हाल नि. गुढानाथावतान, तहसील व जिला बून्दी
5. मोहनी बाई पुत्री जगन्या पत्नी प्रहलाद जाति बैरवा, नि. ख्यावदा, हाल नि. नोताडा धरावन, तहसील इन्द्रगढ

– रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–
अपीलांटस की ओर से श्री ओमप्रकाश प्रजापति, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, रायथल द्वारा प्रकरण सं. 1/2024 बउनवान हेमराज बनाम महावीर वगै. अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 31/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS नं. 2025/70 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ग्राम ख्यावदा, तहसील रायथल की खसरा नं.430 रकबा 0.9613 हैक्टेयर व 430/716 रकबा 0.4845 हैक्टेयर पर अपीलांटस के पिता कालूलाल व घासीलाल के समय से पूर्व से ही अपीलांटस के पूर्वज लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार पीढी दर पीढी आज दिन तक काबिज चले आ रहे है। उक्त सिवायचक भूमि काफी खाल खददड व बंजर थी जिसको अपीलांटस के पूर्वजो ने काफी मेहनत व पैसा लगाकर कृषि योग्य बनाया है। इसी भूमि के दक्षिण व पश्चिम दिशा में लगभग 15 बीघा सिवायचक भूमि पर रेस्पोंडेटस का कब्जा भी पुराने समय से चला आ रहा है। सिवायचक भूमि का रकबा ज्यादा होने से रेस्पो. के पिता जगन्या ने राजस्व कर्मचारियों से मौके पर कब्जे की गलत रिपोर्ट बनाकर अपीलांटस के पूर्वजों के कब्जा वाली भूमि में से अपने नाम 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन करवा ली। जिस पर लगातार कब्जा अपीलांटस का है तथा रेस्पो. का कभी कब्जा नहीं रहा है। इसके बावजूद अपीलांटस को बेदखल किये बिना ही अपीलांटस के कब्जे वाली उक्त भूमि सहित लगभग 27 बीघा भूमि रेस्पो0 के पिता जगन्या ने तथ्य छुपाकर व गलत तथ्य बताकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत व अवैधानिक रूप से अलग अलग समय आवंटन करवाकर अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर ही अपीलांट को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेंटस को दिलाया जाने का आदेश दिनांक 30.05.25 पारित कर दिया गया, उक्त आदेश अपीलांट को पूर्ण रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 बी आर.टी.एक्ट की कार्यवाही में अपीलांट द्वारा रेस्पो. को कब बेदखल करके अतिचार किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। धारा 183 में बेदखली के दावे की मियाद 12 वर्ष होती है जबकि रेस्पो. का कभी कब्जा नही रहा और अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा पिछले 100 वर्षो से पीढी दर पीढी चला आ रहा है। बिना किसी वादकरण के एवं प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से कानूनन चलने योग्य नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2025 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि खाता सं. नया 32 पुराना 35 की कृषि भूमि खसरा सं. 430 रकबा 0.9613 हैक्टेयर एवं खसरा सं.430/716 रकबा 0.4845 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4458 हैक्टेयर वाके ग्राम ख्यावदा रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है। उक्त कृषि भूमि को रेस्पो. अपने पिता के मरणोपरान्त अपीलांटस को आधोली काश्त पर देकर जुपवाते चले आ रहे है। रेस्पोडेंटस ने अपीलांटस से सितम्बर,2023 के प्रथम सप्ताह में जब फसल की मांग की, तो अपीलांटस ने देने से इन्कार कर दिया तथा रेस्पोडेंटस के आधोली काश्त पर देने से इन्कार करने के उपरान्त भी अपीलांटस ने रेस्पोडेंटस की उक्त कृषि भूमि पर काश्तकारी गतिविधिया करने से बाज नहीं आ रहे है तथा अपना कब्जा बरकरार रखने का प्रयास कर रहे है। इससे व्यथित होकर खातेदारान रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183–बी की कार्यवाही पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों को सुना गया तथा बैरवा जाति के रेस्पोडेंट के खाते की कृषि भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों अपीलांटस द्वारा अवैध कब्जा किया जाना पाये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अतिकमियों को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 अनुसार ग्राम ख्यावदा की कृषि भूमि किता 4 कुल रकबा 1.5611 हैक्टेयर के खातेदार कालूलाल, नाथूलाल, हेमराज पि0 जगन्या, जानकीबाई, मन्नीबाई, मोहनीबाई पुत्रिया जगन्या जाति बैरवा निवासी ख्यावदा है। उक्त खातेदारान द्वारा तहसीलदार रायथल के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट पेश किया जाकर उनकी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर प्रार्थीगण को पुनः कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 30.05.2025 पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील में अपीलांटस की प्रथम आपत्ति है कि उक्त कृषि भूमि पर अपीलांटस के पूर्वजों का 100 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा काश्त होने से उनकी बेदखली बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है, लेकिन इस संबंध में अपीलांटस द्वारा पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में अपीलांटस का वर्षो पुराना निरन्तर कब्जा प्रमाणित नहीं होता

जिला कलक्टर, बून्दी

हो। अपीलांटस की दूसरी आपत्ति यह रही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस पर अपीलांटस द्वारा दिनांक 07.06.2024 को स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर साक्ष्य एवं गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। तत्पश्चात अपीलांटस की ओर से दिनांक 10.07.2024 को जवाब मय दस्तावेजात एवं शपथ पत्र गवाहान अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये। जिससे प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर उभयपक्ष को सनुवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर बिना विधिक अधिकार के सवर्ण जाति के अतिक्रमियों का अवैध कब्जा पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणस्वीकार किया जाकर धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के तहत अप्रार्थीगण की बेदखली की कार्यवाही हेतु आदेश दिनांक 30.05.2025 पारित किया गया, जो विधिसम्मत है।

यहां उल्लेखनीय है कि धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही है। यदि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा मानते है तब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर अन्य व्यक्ति को कभी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, अतिक्रमी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है, जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 396 में भी प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर दिनांक 30.05.2025 को आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी